



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अनुरक्षण अनुभाग)
104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 1570



संख्या

/अनु0 अनु0 /

दिनांक

कार्यालय आदेश

आवास आयुक्त(म0) के आदेशान्तर्गत परिषद द्वारा संचालित "लोहिया कल्याण मण्डप" सेक्टर-16 इन्दिरानगर लखनऊ के किराये की दरें 01, अप्रैल, 2017 से निम्नानुसार अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगी :-

क्र0सं0	लोहिया कल्याण मण्डप सेक्टर-16, इन्दिरानगर, लखनऊ	निर्धारित किराया 01.04.2017 से प्रभावी
1	किराया	18,000.00
2	सर्विस टैक्स वर्तमान में 15 प्रतिशत	2,700.00
3	रिफण्डेबल सिक्युरिटी(सामान्य आबंटी से)	3,000.00
4	रिफण्डेबल सिक्युरिटी(परिषद कर्मचारी से)	1,500.00

अ- किराये की धनराशि पर प्रचलित दरों से सर्विस टैक्स लिया जायेगा।

ब- आवंटियों द्वारा किसी भी प्रकार की बिजली सजावट के कार्य हेतु विद्युत विभाग से अस्थाई कनेक्शन स्वयं लेना होगा एवं इस पर होने वाला व्यय स्वयं ही वहन करना होगा।

आरक्षण कराने के उपरान्त आरक्षण की तिथि परिवर्तित कराने पर निम्नानुसार शुल्क लिया जायेगा एवं आरक्षण निरस्त कराने पर निम्नानुसार जमा राशि में से कटौती की जायेगी-

क्र0सं0	तिथि परिवर्तन/निरस्तीकरण समयावधि	तिथि परिवर्तन / निरस्तीकरण शुल्क
1	समारोह की तिथि से 90 दिवस पूर्व परिवर्तन/निरस्तीकरण कराने हेतु आवेदन देने पर किराये की धनराशि का-	10प्रतिशत
2	समारोह की तिथि से 89 से 60 दिवस पूर्व परिवर्तन/ निरस्तीकरण कराने हेतु आवेदन देने पर किराये की धनराशि का-	20प्रतिशत
3	समारोह की तिथि से 59 से 30 दिवस पूर्व परिवर्तन/ निरस्तीकरण कराने हेतु आवेदन देने पर किराये की धनराशि का-	30प्रतिशत
4	समारोह की तिथि से 29 से 15 दिवस पूर्व परिवर्तन /निरस्तीकरण कराने हेतु आवेदन देने पर किराये की धनराशि का-	40प्रतिशत
5	समारोह की तिथि से 14 दिवस पूर्व परिवर्तन/निरस्तीकरण कराने हेतु आवेदन देने पर किराये की धनराशि का-	50प्रतिशत

नोट-

1- तिथि परिवर्तन/निरस्तीकरण प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता(अनुरक्षण), 104-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त कराये जाने पर ही मान्य होगा।

2- परिवर्तन कराने पर वाँछित तिथि को स्थान खाली होने पर ही परिवर्तन किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(रुद्र प्रताप सिंह)

सचिव/आवास आयुक्त

तददिनांक-15.03.2017

पृ0सं0

102

/उक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मा0 अध्यक्ष/ आवास आयुक्त / अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/संयुक्त आवास आयुक्त/मुख्य अभियन्ता के निजी सचिव।
- 2- वित्त नियंत्रक/मुख्य वास्तुविद नियोजक/मुख्य विधि परामर्शदाता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
- 3- उप आवास आयुक्त/सहायक आवास आयुक्त, मुख्यालय।
- 4- सहायक अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता-अनुरक्षण /प्रबन्धक, कनवेंन्शन सेन्टर, इन्दिरानगर, लखनऊ।

सचिव/आवास आयुक्त